न्यायलय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास– श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या 32/2017

अनवान

मदनमोहन पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर

वादी

बनाम

01. तुलछीदान } पिसरान नारायणदान जाति चारण निवासी मण्डाल
02. दुर्गा दान } चारनान
03. रामदेव पुत्र हरीकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति कुम्हार निवासी मण्डाल चारनान
04. सुमेरदान पुत्र नारायणदान जाति चारण
05. छेलुदान पुत्र उमदान जाति चारण निवासी मण्डाल चारनान
06. मु. संजु बैवाह उमदान जाति चारण निवासी मण्डाल चारनान
07. पप्पुदान
08. पृथ्वीदान } पिसरान उमदान जाति चारण निवासी मण्डाल चारनान
09. जितैन्द्रदान
10. मोहनदान
11. प्रेम कंवर
12. मीरा कंवर } पिसरान नारायण दान जाति चारण निवासी मण्डाल चारनान
13. खमा कंवर
14. छेलु राम } पिसरान गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी रावमेरी तहसील कोलायत
15. मुन्नाराम
16. हिंगलाजदान पुत्र तेजदान जाति चारण निवसी ढाढरवाला
17. सायर कंवर पत्नि दुर्गादान जाति चारण निवासी मण्डाल चारनान।
18. सजन कंवर पत्नि उमादान जाति चारण निवासी मण्डाल चारनान
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषकगण:–

01. जीवराज वकील वादी

02. प्रतिवादी संख्या 1 से 18 बावजूद सुचना अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही

03. पैरोकार राज,कोलायत

निर्णय दिनांक

वादी द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम शरह पुनोलाव तहसील कोलायत के खसरा नं. 72/1 में रकबा 114.32 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 18 के नाम संयुक्त खाता में है। जिसमें वादी का 6.32 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 0.99 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 7.06 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 2.77 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 5.54 हैक्टेयर प्रतिवादि सं. 5 का हिस्सा 0.46 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 6 से 9 का हिस्सा 5.85 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 10 हिस्सा 19.03 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 11 से 13 का हिस्सा 21.93 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 14 से 15 का हिस्सा 7.31 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 16 का हिस्सा 7.31 हैक्टैयर व प्रतिवादी 17 का हिस्सा 18.04 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 11.71 हैक्टेयर है। जो दर्ज रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगणों का उपरोक्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त निरंतर रूप से चला आ रहा है। जिस पर सभी सहहिस्सेदारों ने मौके पर बाहमी विभाजन कर रखा है व उसी अनुसार काश्त करते है। वकील वादी ने निवेदन किया है कि खाता बड़ा होने के कारण विवादित भूमि को काश्त करने को लेकर सहकाश्तकारों के बीच मनमुटाव होने लगा व के.सी.सी. बनवाने में परेशानी रहती है। वादी शांति प्रिय व्यक्ति है किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता है इसलिए अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन बाई मीट्स एंड बाउण्ड अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी करवाना चाहता है। दिनांक 20.01.2017 को प्रतिवादीगणों ने वादी को जमीन खाली करने की धमकी दी जिससे से वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण हासिल हुआ है व तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

जिससे कोई रिलीफ नहीं लेनी है। इस प्रकार उक्त दावा वादी द्वारा राजस्थान काश्कारी अधिनियम कि धारा 53 के तहत पेश कर खाता तकसीम कर अलग से लगान कायम करने का अनुतोष चाहा गया है।

सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया गया जो बावजूद सुचना 2 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध दिनांक 14.03.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। मुताबिक वाद पत्र एवं प्रतिवादी सं. 1 से 18 की तरफ से एकपक्षिय कार्यवाही अनुसार वादपत्र स्वीकार कर बाई मीट्स एंड बाउण्ड खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने का अनुतोष चाहा हमने उभयपक्ष के द्वारा पेश किये गये वाद पत्र एवं समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें वादगत भूमि वादी एवं प्रतिवादीगणों के संयुक्त नाम से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। तथा प्रत्येक खातेदार को अपना खाता तकसीम करवाने का उपचार राजस्थान काश्तकारी धारा 53 में उपलब्ध है ताकि एक खातेदार अपना अलग से खाता विभाजन करवा कर अपनी भूमि का अच्छे तरीके से सुधार कर सकता है व वित्तीय संसाधन जुटाकर अधिक उपजाऊ बना सकता है व अलग से लगान कायमी होने से अपना लगान समय समय पर जाम करवा सकता है जबकि संयुक्त खातेदार होने पर इन कार्यों पर अक्सर सहमति नहीं बन पाती उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगणों ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त लम्बे अरसे से बाहमी विभाजन अनुसार बताया है।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है और प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 18 का पूर्व में वर्णित हिस्सा अनुसार भूमि का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर अलग से खाते एवं लगान कायम करते हुवे उनकी भूमि नजरिये नक्शा में अलग अलग रंगो में दर्शित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव तैयार कर 15 योम में इस न्यायलय में भिजवावें ताकि पक्षकारान को अन्तिम डिक्री खाता विभाजन बाबत मंजूर की जा सके।

निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें निर्णय व प्राथमिक डिक्री की एक प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/11/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2019.12.08 18:12:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: